राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./4519/2004/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू (मौजमाबाद), जिला जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– हीरा पुत्र उदा, गूजर, निवासी खुडियाला, तहसील दूदू (मौजमाबाद), जिला जयपुर।

2– सकराम पुत्र मानाराम, गूजर, निवासी खुडियाला, तहसील दूदू (मौजमाबाद), जिला जयपुर।

3– काना उर्फ कल्याण पुत्र काना, गूजर, नि0खुडियाल, तहसील दूदू (मौजमाबाद), जिला जयपुर।

4– झमकू पुत्री माना पत्नी देवकरण, जाति गूजर, निवासी पचेवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

5– बरजी पुत्री काना पत्नी हरजल, जाति गूजर, निवासी पचेवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

6– सायरा पुत्री काना पत्नी किशन, जाति गूजर, निवासी पचेवर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
श्री डूँगर सिंह, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 16.10.2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 118/2000 शीर्षक 'सरकार बनाम हीरा' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2002 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक वाद अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक जिलाधीश, सांभर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित ग्राम खुडियाला, तहसील दूदू खसरा नम्बर 1123 रकबा 55–18 बीघा जिसके पुराने खसरा नम्बर 870/1249 हैं, वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की है जिसे वादीगण के पूर्वज रामसुख देवा वादी संख्या–1 के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज है। सैटलमैंट में राजस्व कर्मियों की त्रुटि से प्रश्नगत आराजी जिसका पुराना खसरा नम्बर 870/1249 है को चरागाह दर्ज कर दिया गया है, जब कि आराजी कभी चरागाह की नहीं रही है। राजस्व अधिकारियों द्वारा इसकी दुरुस्ती नहीं की जा रही है। अतः दावा वादी डिक्री कर प्रश्नगत आराजी को वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाये और चरागाह के अंकनों को कलमजन किया जाये और वादीगण के मध्य आराजी को बराबर बराबर विभाजित

किया जाये। राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों से असहमति जाहिर की और प्रश्नगत आराजी को पूर्व से ही चरागाह की भूमि होना बताते हुये दावा वादी खारिज करने का कथन अंकित किया। निर्णय दिनांक 21–12–1995 से परीक्षण न्यायालय ने दावा वादी डिक्री। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 20–7–2002 से अपील को अस्वीकार किया। इसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 पक्ष ने सर्वप्रथम आपत्ति प्रस्तुत की है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–7–2002 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह अपील दिनांक 29–9–2004 को प्रस्तुत की गई है जो मियाद सीमा के बाहर है। अपील के साथ प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र धारा 5 में देरी के जो कारण अंकित किए गए हैं वे भी औचित्य प्रद एवं संतोषजनक नहीं हैं, अतः अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किया जाये। इसके विपरीत योग्य राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5, मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें देरी के कारण विस्तार से अंकित किए गए है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक व संतोषप्रद होने से अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जा कर गुणावगुण पर परीक्षण किया जाये।

5– प्रकरण में बहस करते हुये अपीलार्थी पक्ष के योग्य राजकीय अति0 अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा रेकार्ड व तथ्यों के विपरीत जाते हुये निर्णय पारित किये हैं जो न्याय प्रावधानों के अनुसरण में नहीं होने से अपील स्वीकार कर निरस्त किए जाने योग्य हैं। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि सम्वत् 2011 से ही गै0मु0 चरागाह की भूमि रही है और राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान बाध्यकारी होने से चरागाह भूमि पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। चकबन्दी रजिस्टर में भी भूमि की किस्म गै0मु0 चरागाह अंकित है। प्रश्नगत आराजी पर दावा दायरी के रोज वादीगण का किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहा है, अतः दावा चलने योग्य नहीं था। वादी पक्ष की ओर से जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है उससे साबिक नम्बरों से हाल नम्बर बनने की कहीं पुष्टि नहीं होती है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रकरण में किसी प्रकार से विवाद बिन्दु कायम किये बिना ही और तनकीवार विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किए हैं, अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जाए।

6– रैस्पो0 पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के द्वारा परीक्षण करते हुये समवर्ती निर्णय पारित किए हैं और समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप उचित नहीं है। न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2019 (2) पेज 831 को उद्धरित किया। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि वादी द्वारा घोषणा का वाद धारा 15 के तहत नहीं रहा है बल्कि इन्द्राज दुरुस्ती का है। वादीगण यही कहते हुये आये हैं कि पूर्व में आराजी वादीगण की खातेदारी में थी जिसे गलत प्रकार से भूप्रबन्ध के दौरान चरागाह अंकित कर दिया है, अतः आराजी को पूर्व अनुसार चरागाह से हटा कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाये। आराजी को गलत प्रकार से चरागाह में दर्ज किया गया

है और वादीगण द्वारा जो दस्तावेजी व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत की है उससे इसे बखूबी साबित भी किया गया है। आराजी को बिना किसी निर्णय व सक्षम आदेश के चरागाह में परिवर्तित किया गया है। अतः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसे पुष्ट करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं की है। समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप उचित नहीं है। अपील सारहीन है जिसे खारिज किया जाए।

7– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

8– हस्तगत प्रकरण में मियाद के बिन्दु पर परीक्षण में स्पष्ट है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–7–2002 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह अपील दिनांक 29–9–2004 को प्रस्तुत की गई है जो कि निर्धारित मियाद सीमा के बाहर है, किन्तु अपील के साथ में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें देरी के कारण बताए गए हैं। माननीय उच्च न्यायलाय ने न्याय दृष्टान्त आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में मत पारित किया है कि जहॉ प्रकरण में सार हो वहॉ प्रकरण को मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर निस्तारित करने की बजाये गुणावगुण पर देखा जाना चाहिए। मदनगोपाल शर्मा बनाम स्टेट आफ राजस्थान में आर0बी0जे0 2003 पेज 366 में स्पष्ट किया गया है कि डिले कंडोन करने के लिए यदि उपयुक्त कारण अंकित किए गए हैं तो न्यायालय का रुख मियाद के बिन्दु पर लचीला होना चाहिए। अतः वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित कारण संतोषजनक प्रतीत होने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9– प्रकरण में परीक्षण से पाया जाता है कि वादी–रैस्पो0 का वाद पत्र इस आशय का रहा है कि खसरा नम्बर 1123 रकबा 55–18 बीघा जिसके पुराने खसरा नम्बर 870/1249 हैं, वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की है जिसे चरागाह दर्ज कर दिया गया है, जब कि आराजी कभी चरागाह की नहीं रही है। इसके विपरीत राज्य पक्ष की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों से असहमति जाहिर की है और प्रश्नगत आराजी को पूर्व से ही चरागाह की भूमि होना बताया गया है। सहायक कलक्टर, दूदू ने राज्य सरकार के विरुद्ध दिनांक 12–12–1995 को एकतरफा में निर्णय पारित करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किया है और राज्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है। प्रकरण में मुख्य रुप से परीक्षण योग्य बिन्दु यही था कि आया प्रश्नगत आराजी पूर्व में चरागाह की भूमि रही है या वादीगण के पूर्वजों की आराजी रही है और क्या वे अपने पक्ष में खातेदारी की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी रहे हैं। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के स्तर पर प्रकरण में किसी प्रकार के विवाद्यक कायम नहीं किए गए है। राज्य पक्ष की ओर से जब जबाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था तो यह अपेक्षित था कि परीक्षण न्यायालय के स्तर पर विधिवत रुप से विवाद बिन्दु कायम किये जाते और प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुये वास्तविक विवाद बिन्दु को तय किया जाता। वादी द्वारा वादपत्र में खसरा नम्बर 1123 रकबा 55–18 बीघा के पुराने खसरा नम्बर 870/1249 होना अंकित किया है और परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2007–10 में इसे वादीगण की खातेदारी में अंकित होना बताया है किन्तु ये अंकन खातेदारी के नहीं हो कर कृषक के कॉलम में हैं। खतौनी बन्दोबस्त भू प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2011–29 में चरागाह के भी अंकन हैं। खसरा

परिवर्तनशील के अंकनों से वैध कब्जे की पुष्टि नहीं मानी जा सकती है। परीक्षण न्यायालय ने ग्राम पंचायत के आधार पर प्रश्नगत आराजी को वादीगण के कब्जे काश्त की होना व पूर्व में चरागाह की नहीं होना माना है किन्तु इस सम्बन्ध में विस्तार से परीक्षण नहीं किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी समस्त राजस्व रिकार्ड व अन्य साक्ष्य का विधिवत परीक्षण व विवेचन किये बिना अपना अभिमत पारित किया है जब कि प्रकरण चरागाह की भूमि के सम्बन्ध में होने से विस्तृत परीक्षण आवश्यक था। अतः अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय तनकीवार विवेचन पर आधारित नहीं होने से प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के स्तर से पुनः आदेश 20 नियम 5, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसरण में तनकीवार विवेचन व परीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है।

10– अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–2002 एवं सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–1995 निरस्त किए जाते हैं और प्रकरण सहायक कलक्टर, दूदू को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः तनकीवार विवेचन करते हुये, नियमानुकूल निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य